

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री राजेश कुमार जैन एडवोकेट, पिता बसंतीलाल जैन निवासी एस. डी. एम.
कोर्ट के पीछे, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, निम्बाहेड़ा
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 020/2026 (RTI)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.26	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्त श्री राजेश कुमार जैन एडवोकेट, पिता बसंतीलाल जैन निवासी एस. डी. एम. कोर्ट के पीछे, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन दिनांक 13.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, निम्बाहेड़ा के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, निम्बाहेड़ा, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p>	



.....लगातार

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, निम्बाहेड़ा, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस कार्यालय को प्रदत्त नहीं है जिससे हस्तगत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को निः शुल्क मय उनके द्वारा प्रेषित पोस्टल ऑर्डर नम्बर 70F 197279 राशि 10/- रु. के प्रेषित की जावे।

